

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी : प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 280 / 2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा : 88 आर.टी.ए.



1. ओमप्रकाश पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. कृष्णलाल पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. लालचन्द पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. शिवप्रताप पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. रमेश कुमार पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. अमरावती पुत्री लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. कलावती पुत्री लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. राममूर्ति पुत्री लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
5. विद्यादेवी पुत्री लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
6. सीता देवी पुत्री लेखराम जाति बैरागी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुनील टाण्डी – अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रदीप जाखड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 6

निर्णय

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 एसबीएन के खाता संख्या 25/13 जमाबंदी सम्वत 2070-73 खाता अमरावती वगैरा में कुल 1.012 है. व चक नं. 6 एनजीआर ज.स. 2072-75 के खाता संख्या 31/29 खाता अमरावती वगैरा में 0.759 है. व वादीगण सं. 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता लेखराम के नाम संयुक्त खाता में चक नं. 2 एमएमके के खाता सं. 23/53 जमाबंदी सम्वत 2071-74 खाता जसकरण सिंह वगैरा में कुल 3.036 है. सांझा खाता में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के पिता लेखराम पुत्र रामकिशन के नाम 0.506 है. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने दावा पेश किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना हक त्याग कर दिया है, इसलिए उक्त प्रतिवादीगण का नाम उक्त खातों से कलमजन किया जाए। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 14.06.2023 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के मध्य राजीनामा पेश किया गया, जो संलग्न (पेज संख्या 3 ता 4) है।

क्रियात्मक आदेश

प्रश्नगत भूमि पैतृक संपत्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में भाई-बहिन है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 2 ता 6 द्वारा किया गया हक त्याग विधिसम्मत है। अतः वादपत्र में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वाद में वर्णित चक 14 एसबीएन के खाता संख्या 25/13 जमाबंदी सम्वत 2070-73, चक नं. 6 एनजीआर ज.स. 2072-75 के खाता संख्या 31/29 तथा चक नं. 2 एमएमके के खाता सं. 23/53 जमाबंदी सम्वत 2071-74 में से प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का नाम कलमजन किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम दर्ज जमीन को वादी संख्या 1 ता 4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बराबर हिस्सों में हस्तांतरण किया जाता है। तहसीलदार आदेश के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करें। वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष भी चाहा गया गया है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए यह अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।



(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Count (3)



14/6/23

मानवीय न्यायालय

सहायक कलेक्टर
संगरिया

ओम प्रकाश व अन्य बनाम रमेश कुमार आदि
वाद - पत्र

श्रीमान जी

अनवान सदर के वाद पत्र में वादीगण व प्रति.सं. 2 ता.6 के साथ राजीनामा ग्राम पंचायत व आपसी शिष्टेदाए ने काया दिया प्रति.सं 2 ता.6 का वाद-पत्र कि-चण सं.2 में वर्णित कृषि यमिका जौ भी विराट्टन एक व हिस्सा बनता है उसका मीठानु रूप से एक भाग वादीगण व प्रति.सं 4 के पक्ष में व-हि-व कर दिया है वादीगण का वाद पत्र आद-पत्र कि चण सं. 3(क) के अग्रजट डिग्री किया जाता है ही इस धरि-सं 2 ता 6 को कोई अज व एतराज नहीं होगा.



अतः राजीनामा पेडा का अर्थ है कि वादीगण का प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के मध्य राजीनामा तस्दीक करने के आदेश का पाने भीकत जी कि अति कृपा होगी।



दिनांक

14.6.2023

वादीगण

ओम प्रकाश

कृष्ण लाल

लालचन्द

शिवश्याम

तद्व संगरिया

जिला दण्डागण

प्रतिवादी सं-2 ता 6
अमरावती 1. अमरावती

कलावती

शमशुक्ति

विधादेवी

सीता देवी

तद्व संगरिया

सीता देवी जिला दण्डागण (राज)

पुत्रीप्रा

लक्ष्मण

जाति धरम

निगण (क)

सहायक कलेक्टर एवं
दण्डागण अधिकारी
संगरिया

14/6/23

Signature

39

Case




अमरोवती

वाढीमण एवं प्रतिवादी से.
2 ता 6 के मध्य राजीनामा
पेश हुआ, जो तस्दीक किया
जाकर शामिल पत्रावली किया
जाता है



जालावली



सीता देवी

अज्ञान
अज्ञान
अज्ञान

सहायक प्रोसेक्यूटर एवं
सम्बन्धित अधिकारी
सोलापुर

विशेष

अज्ञान
अज्ञान